भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*264**

(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

**अंशदायी पेंशन प्रणाली का वापस लिया जाना**

264. श्री टी॰जी॰ वेंकटेशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंशदायी पेंशन प्रणाली, जो कर्मचारियों के लिए अहितकर बन गई है, को वापस लिए जाने की देशभर में उठ रही मांग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है और इस संबंध में राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) से (घ):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘‘अंशदायी पेंशन प्रणाली का वापस लिया जाना” के संबंध में श्री टी. जी. वेंकटेश द्वारा पूछे गए 20 मार्च, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*264 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क):** जी, हां।

**(ख):** सरकार ने बढ़ते तथा असंवहनीय पेंशन बिल पर विचार करने के पश्चात निर्धारित लाभ, उपयोगानुसार भुगतान करने की पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नामक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना में जाने का विवेकपूर्ण कदम उठाया है। इस परिवर्तन के कारण सरकार के सीमित संसाधन के अधिक उत्पादनकारी तथा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध होने का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है।

 प्रथम चरण में एनपीएस को सशस्त्र बलों को छोड़कर, सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारी जो केन्द्र सरकार की सेवा में दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात आए हैं, के लिए लागू किया गया था। तत्पश्चात, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है। इसके अलावा, दिनांक 01.05.2009 से एनपीएस को असंगठित क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है।

**(ग) और (घ):** सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, एनपीएस लागू करने को युक्तियुक्त बनाने के उपायों का सुझाव देने हेतु भारत सरकार के सचिवों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने दिनांक 28.02.2018 की अपनी रिपोर्ट के द्वारा एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछेक उपायों की सिफारिश की है।

\*\*\*\*\*